फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री कपिल कुमार **विपक्षी : श्री निहालचन्द**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 43/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 21.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प वीरधोलिया में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। वादीगण द्वारा वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वादग्रस्त भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादीगण खातेदार काश्तकार होने से वादीगण को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की भूमि में दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना उपस्थित होकर वादीगण के वाद का किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया हैं। इससे भी वादीगण के वाद को बल मिलता हैं। वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 478 किता 1 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करे, किसी भी तरह से खुर्द बुर्द नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले सुनाया गया। **(मयंक मनीष IAS)** **सहायक कलक्टर** **(एफ.टी.) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2022.01.18 19:43:12 IST Reason: SelfAttested	

<u>प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021</u>

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री कपिल कुमार पुत्र आशाकुमारी पिता शिवदयालसिं राजपूत निवासी नागानगरी सुहागनवाडी उदयपुर।
2. श्रीमती विमलाकुमारी बेवा उदयसिंह राजपूत निवासी नागानगरी सुहागनवाडी उदयपुर।

...................वादीगण

बनाम

1. श्री निहालचन्द पिता उदयलाल जैन निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 43/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00078

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 478 किता 1 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करे, किसी भी तरह से खुर्द बुर्द नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:43:12 IST
Reason: SelfAttested